

कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर
रिमाण्ड ड्यूटी संशोधित आदेश माह अगस्त, 2025

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 (2) एवं 410 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुझ विजेन्द्र कुमार, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर द्वारा श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय की अनुमोदन पश्चात् इस कार्यालय के पूर्व रिमाण्ड आदेश क्रमांक-267(मेल), दिनांक 01.08.2025 में संशोधन कर यह संशोधित आदेश पारित किया जाता है कि माह अगस्त, 2025 में निम्नलिखित सूचियों के कॉलम नंबर-1 में अंकित राजकीय अवकाश के दिन जैसलमेर जिला न्यायक्षेत्र में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्यों की सुनवाई, जिनमें जमानत, रिमाण्ड, ड्यूटी, मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे, ऐसे प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।

दिनांक	न्यायालय का नाम	रिमाण्ड ड्यूटी हेतु लिंक न्यायालय
31.08.2025	श्री नवीन रतनू अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण	श्री सौभाग्य सिंह चारण अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण

- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायिक अधिकारीगण के पास वीडियो कान्फ्रेंसिंग से भी रिमाण्ड दिये जाने का विकल्प उपलब्ध रहेगा जो संबंधित न्यायिक अधिकारी के विवेकाधीन होगा और यह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय/ माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जैसलमेर द्वारा इस संबंध में पारित आगामी आदेशों के अधीन रहेगा।
- मुख्यालय पर अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय प्रातः **11.00 एएम से 02.00 पीएम** बजे तक रहेगा।
- पीठासीन अधिकारी के नियत रिमाण्ड दिवस पर मुख्यालय से बाहर रहने अथवा अवकाश पर रहने की अवस्था में वे अपने लिंक अधिकारी को सूचित करते हुए उनके स्थान पर लिंक अधिकारी के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की सहमति प्राप्त कर उसका प्रार्थना पत्र में अंकन करते हुए सूचना इस कार्यालय को भिजवाएंगे, जो श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जैसलमेर के आदेश के अध्याधीन रहेगा।
- विशेष परिस्थितियों में मुल्जिम को निवास पर पेश करते समय निवास स्थान में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे तथा संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही करें।



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जैसलमेर।
2. जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को जेसी/पीसी रिमांड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुंचने के लिये सूचित करें।
3. जिला आबकारी अधिकारी, जैसलमेर को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि जिले में कार्यरत वृत्त निरीक्षक/प्रहराधिकारी/प्रभारी अधिकारी आबकारी थाना को जेसी/पीसी रिमांड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुंचने के लिये सूचित करें।
4. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण।
5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
6. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
7. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सांकड़ा, मुख्यालय पोकरण।
8. सहायक निदेशक अभियोजन, जैसलमेर।
9. पुलिस कंट्रोल रूम, जैसलमेर।
10. अध्यक्ष अभिभाषक परिषद, जैसलमेर।
11. उपकारागृह, जैसलमेर।
12. प्रभारी अधिकारी वायरलेस, जैसलमेर को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि इस मैसेज को सभी आरक्षी केन्द्रों को सूचित करें।
13. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जैसलमेर को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मैसेज को जिला न्यायालय की बेबसाइट पर अपलोड करें।
14. कार्यालय प्रति।



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर

कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर
रिमाण्ड ड्यूटी आदेश माह सितम्बर, 2025

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 (2) एवं 410 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुझ विजेन्द्र कुमार, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर द्वारा श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय की अनुमोदना पश्चात् निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है कि माह सितम्बर, 2025 में निम्नलिखित सूचियों के कॉलम नंबर-1 में अंकित राजकीय अवकाशों के दिन जैसलमेर जिला न्यायक्षेत्र में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्यों की सुनवाई, जिनमें जमानत, रिमाण्ड, ड्यूटी, मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे, ऐसे प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।

दिनांक	न्यायालय का नाम	रिमाण्ड ड्यूटी हेतु लिंक न्यायालय
05.09.2025 07.09.2025 27.09.2025 28.09.2025 30.09.2025	श्री नवीन रतनू, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण	श्री सौभाग्यसिंह चारण, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर
02.09.2025 13.09.2025 14.09.2025 21.09.2025 22.09.2025	श्री सौभाग्यसिंह चारण, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर	श्री नवीन रतनू, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण

नोट :-

- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायिक अधिकारीगण के पास वीडियो कान्फ्रेंसिंग से भी रिमाण्ड दिये जाने का विकल्प उपलब्ध रहेगा जो संबंधित न्यायिक अधिकारी के विवेकाधीन होगा और यह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय/ माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जैसलमेर द्वारा इस संबंध में पारित आगामी आदेशों के अधीन रहेगा।
- मुख्यालय पर अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय प्रातः **11.00 एएम से 02.00 पीएम** बजे तक रहेगा।
- उक्त राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य कोई पूर्ववर्ती या पश्चातवर्त दिवस को अवकाश घोषित हो जाने पर संबंधित रिमाण्ड ड्यूटी अधिकारी द्वारा ही रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जायेगी। इसके लिये कोई पृथक आदेश नहीं पारित किया जावेगा, संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी इसका विशेष ध्यान रखें।
- पीठासीन अधिकारी के नियत रिमाण्ड दिवस पर मुख्यालय से बाहर रहने अथवा अवकाश पर रहने की अवस्था में वे अपने लिंक अधिकारी को सूचित करते हुए उनके स्थान पर लिंक अधिकारी के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की सहमति प्राप्त कर उसका प्रार्थना पत्र में अंकन करते हुए सूचना इस कार्यालय को भिजवाएंगे, जो श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जैसलमेर के आदेश के अध्वधीन रहेगा।
- विशेष परिस्थितियों में मुल्जिम को निवास पर पेश करते समय निवास स्थान में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे तथा संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही करें।
- तारांकित (*) अवकाश यदि कोई हो, तो उसके परिवर्तित होने की स्थिति में अधिकृत अधिकारी ही परिवर्तित अवकाश की तिथि को रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जैसलमेर।
2. जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को जेसी/पीसी रिमांड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुंचने के लिये सूचित करें।
3. जिला आबकारी अधिकारी, जैसलमेर को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि जिले में कार्यरत वृत्त निरीक्षक/प्रहराधिकारी/प्रभारी अधिकारी आबकारी थाना को जेसी/पीसी रिमांड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुंचने के लिये सूचित करें।
4. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण।
5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
6. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
7. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सांकड़ा, मुख्यालय पोकरण।
8. सहायक निदेशक अभियोजन, जैसलमेर।
9. पुलिस कंट्रोल रूम, जैसलमेर।
10. अध्यक्ष अभिभाषक परिषद, जैसलमेर।
11. उपकारागृह, जैसलमेर।
12. प्रभारी अधिकारी वायरलेस, जैसलमेर को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि इस मैसेज को सभी आरक्षी केन्द्रों को सूचित करें।
13. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जैसलमेर को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मैसेज को जिला न्यायालय की बेबसाइट पर अपलोड करें।
14. कार्यालय प्रति।



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर